डीजी परिपत्र संख्या–34 /2022

देवेन्द्र सिंह चौहान
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांकःअक्टूबर 08 ,2022

विषयः विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने, पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा विवेचना पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा विवेचनोपरान्त निर्धारित समय के अन्दर मा0 न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

———

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में अपराधों की गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से अनुपालनार्थ पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विवेचना को समयबद्ध पूर्ण कर मा0 न्यायालय में शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति सामना करना पड़ता है।

डीजी परिपत्र संख्या–06/2021 दि0: 19.12.2021
डीजी परिपत्र संख्या–29/2020 दि0: 03.09.2020
डीजी परिपत्र संख्या–07/2019 दि0: 21.01.2019
डीजी परिपत्र संख्या–24/2016 दि0: 05.05.2016

2. गम्भीर अपराधों की ससमय विवेचना पूर्ण कर आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा पीड़ित को न्याय दिलाना विवेचना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक अधिनियमों/नियमों में विवेचना पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब को रोकने, समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में गुण–दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण कर मा0 न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किये जाने हेतु आपके मार्ग–दर्शन एवं अनुपालनार्थ बिन्दु निम्नवत हैं:–

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि विवेचनाधिकारियों द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये।
- पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपने अधीनस्थ विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का निकटता से अनुश्रवण करेगें और यह सुनिश्चित करेगें कि कोई विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे।
- पर्यवेक्षणीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि विवेचनोपरान्त आरोप–पत्रों को अपने कार्यालय में लम्बित नहीं रखेगें।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध गोष्ठी में लम्बित विवेचनाओं के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर मा0 विचारण न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु लम्बित आरोप–पत्रों के सम्बन्ध में भी समीक्षा करते हुए आरोप–पत्र को न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित करायेगें।
- कतिपय विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों उदाहराणार्थ एफ0एस0एल0 की परीक्षण रिपोर्ट अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित रहती है। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक स्वयं एफ0एस0एल0 एवं अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ इकाई से समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट इत्यादि तत्परता से प्राप्त करने के प्रयास करायें, ताकि विवेचक द्वारा विवेचना का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

- सी0सी0टी0एन0एस0 में केस डायरी को ऑन लाइन भरे जाने एवं आरोप पत्र को 173(2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत ऑन लाइन फाइल किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान केस डायरी का अंकन अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से आन लाइन किया जाय तथा विवेचनोपरान्त बिना किसी अनावश्यक विलम्ब सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित किया जाय।
- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने अधीनस्थ जनपदों में लम्बित विवेचनाओं एवं मा0 विचारण न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु लम्बित आरोप–पत्रों की समीक्षा करते हुए अपने मार्ग–दर्शन में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें।
- प्रत्येक स्तर पर समीक्षा (अर्दली कक्ष) के दौरान यह पाया जाता है कि कोई विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित रखी गयी है या विवेचना के निस्तारण के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये हैं तो सम्बन्धित विवेचक के विरूद्व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- आप इन निर्देशों एवं इसके पूर्व इस विषय पर निर्गत परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में विवेचकों एवं पर्यवेक्षणाधिकारी के साथ समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन करते रहें, ताकि विवेचना में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हो।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए इसकी प्रति उपलब्ध करा दें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4. इन निर्देशों पर अपना व्यक्तिगत ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि अनुपालन में कोई त्रुटि न हो।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
08/10/22

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट–लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।